न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

प्रकरण संख्या– अपीलडि./टीए/4522/2002/श्रीगंगानगर

1.बुटासिंह पुत्र पालसिंह जाति बावरी निवासी चक66 एनपी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर
2.मलकौर पत्नी बलवीरसिंह पुत्री पालसिंह
3.भजनकौर पत्नी मलकियतसिंह पुत्री पालसिंह निवासीगण अरायण तहसील करणपुर जिला श्रीगंगानगर
4.गुरनामकौर उर्फ गुरनामों पत्नी मंशीराम पुत्री पालसिंह जाति बावरी निवासी डबली–राठान तहसील पीलीबंगा
5.बंशो पत्नी श्रीचन्द पुत्री पालसिंह जाति बावरी निवासी चक 2केएनडी तहसील घडसाना
6.जलकौर पत्नी जगरसिंह पुत्री पालसिंह निवासी चक–1पीडी मसीतावाली तहसील विजयनगर
7.गुलाबसिंह
8.करतारसिंह पुत्रगण बुटासिंह समस्त जाति बावरी निवासी चक–66 एनपी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

– अपीलार्थीगण

बनाम

1.राजू पुत्र श्रंवणसिंह जाति बावरी निवासी चक 66 एनपी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रींगंगानगर
2.निर्मलसिंह पुत्र श्रंवणसिंह जाति बावरी नाबालिग जरिये कुदरतीवली माता मु. मुन्ती विधवा श्री श्रवणसिंह जाति बावरी निवासी चक 66 पीएन तहसील रायसिंह
3.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व, रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

– प्रत्यर्थीगण

खण्डपीठ
डॉ. आर. वेंकटेश्वरन, अध्यक्ष
श्री सुनील कुमार शर्मा, सदस्य

उपस्थित

श्री प्रदीप विश्नोई, अधिवक्ता, अपीलार्थीगण
श्री मनीष पाण्डिया, ब्रीफ होल्डर अधिवक्ता, प्रत्यर्थीगण

निर्णय

दिनांक 11.02.201

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22-05-2002 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण प्रत्यर्थीगण ने विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88-92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत प्रतिवादीगण अपीलार्थीगण एवं तहसीलदार के विरूद्ध प्रस्तुत कर वादपत्र की मद संख्या-2 में वर्णित विवादित आराजी बाबत् वादीगण के दादा श्रीपाल द्वारा निष्पादित वसीयत दिनांक 10-01-1991 के आधार पर खातेदार घोषित किये जाने का अनुतोष चाहा। विचारण न्यायालय द्वारा वादपत्र को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादीगण ने विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर जवाबदावा पेश कर वादपत्र में अंकित कथनों को अस्वीकार करते हुए वाद को खारिज किये जाने की प्रार्थना की। तत्पश्चात् प्रतिवादी संख्या-1 की ओर से दिनांक 27-02-1998 को काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर विवादित आराजी में 6/7हिस्से का खातेदार घोषित किये जाने की प्रार्थना की। तत्पश्चात् विचारण न्यायालय द्वारा मूल वाद में अनुतोष सहित छः तनकीयात कायम करने के उपरान्त उभयपक्ष की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य लिपिबद्ध कर उभयपक्ष की बहस सुनकर निर्णय दिनांक 30-05-2000 से वादी वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद को डिक्री कर दिया। इस निर्णय व डिक्री के विरूद्ध प्रतिवादीगण अपीलार्थीगण ने अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 22-05-2002 से खारिज कर दी। इसी निर्णय व डिक्री से व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

3. हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

4. योग्य अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने अपनी बहस में अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। उनका कथन है कि विवादित आराजी जमाबन्दी सम्वत् 2047-2050 में गैर खातेदारी में दर्ज थी, गैर खातेदारी में दर्ज विवादित आराजी की वसीयत कानूनी रूप से कोई मान्यता नहीं रखती है। उनका कथन है कि वादीगण ने अपने दादा की वसीयत दिनांक 10-01-1999 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की एवं उसमें कुल भूमि में से 1/2 की वसीयत अपने पक्ष में शेष गुलाबसिंह व करतारसिंह पिसरान बुटासिंह के पक्ष में किया जाना बताया है परन्तु दावे में गुलाबसिंह व करतारसिंह को पक्षकार प्रतिवादी के रूप में नहीं बनाया गया है। उनका कथन है कि जब वादीगण दावा वसीयत के आधार पर प्रस्तुत कर रहे है तो वसीयत के अन्य हकदार को भी दावे में आवश्यक पक्षकार बनाया जाना चाहिए था, इस कारण वादीगण का वाद नान ज्वाईण्डर आफ पार्टिज के आधार पर खारिज किये जाने योग्य था। उनका कथन है कि तथाकथित वसीयत को साक्ष्य अधिनियम की धारा 67, 68 के अनुसार स्वतन्त्र गवाहान प्रमाणित नही कराया गया है। उनका कथन है कि विचारण न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या-1 की ओर से प्रस्तुत काउन्टर क्लेम को खारिज करने में विधिक त्रुटि कारित की है। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा उक्त तथ्यों एवं विधिक स्थिति की अनदेखी करते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किये गये है, जो तथ्यात्मक एवं विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णयों व डिक्री को निरस्त किया जाकर वादीगण प्रत्यर्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाद को खारिज करते हुए प्रतिवादी संख्या-1 की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत काउन्टर क्लेम को स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी में 6/7हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे। योग्य अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने अपने कथनों के समर्थन में 2014 आरआरटी पेज

209 एवं 1998 डीएनजे एसीसी पेज 150 पर उद्धरित न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये।

5. योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण ने अपनी बहस में लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विचारण न्यायालय ने मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से वसीयत को प्रमाणित मानते हुए उनके पक्षकार की ओर से प्रस्तुत वाद को डिक्री किया तथा प्रतिवादी संख्या–1 की ओर से प्रस्तुत काउन्टर क्लेम को स्वीकार किया गया है तथा अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा भी अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अपील को समवर्ती निर्णय से खारिज किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नहीं होने से पारित समवर्ती निर्णय में द्वितीय अपील के माध्यम से हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। उनका कथन है कि विवादित आराजी चक 8 पीटीडीए के मु.न. 245/351 की 25बीघा एवं चक 66 एनपी के मु. नम्बर 21 की 24बीघा 10बिस्वा भूमि मूलः वादी प्रत्यर्थीगण के दादा पालसिंह की खातेदारी की भूमि थी। उक्त भूमि में से चक 8पीटीडीए की 12बीघा 10बिस्वा भूमि नहरी एवं चक 66एन.पी. की 3.086 हैक्टयर भूमि की वसीयत उनके पक्षकार के पक्ष में दिनांक 10–01–1991 को नोटेरी पब्लिक से तस्दीक करवाई, जिसके आधार पर वादीगण विवादित आराजी के खातेदार हो जाते है। उनका कथन है कि अपीलार्थीगण द्वारा अपनी अपील में मुख्य रूप से यह आक्षेप उठाया कि गैर खातेदारी भूमि की वसीयत नहीं हो सकती, वस्तुतः उक्त आक्षेप दोषपूर्ण है क्योंकि वसीयत में वर्णित भूमि प्रत्यर्थीगण के दादा पालसिंह की खातेदारी एवं स्वअर्जित भूमि थी, जिसकी वसीयत करने का उनको पूर्ण अधिकार था। उनका कथन है कि विचारण न्यायालय के समक्ष उनके पक्षकार की ओर से खातेदारी सनद दिनांक 27–6–1977 जमाबन्दी सम्वत् 2041 प्रस्तुत की एवं तहसीलदार द्वारा वादपत्र में दिये गये अपने जवाबदावे में भी पालसिंह सिंह द्वारा की गयी वसीयत को खातेदारी की भूमि की होना अंकित किया है। उनका कथन है कि विचारण न्यायालय के समक्ष उनके पक्षकार की ओर से वसीयत के दोनों गवाहान के बयान करवाकर वसीयत को

प्रमाणित करवाया है। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा इन्हीं दस्तावेजी साक्ष्य के मद्देनजर विधिसम्मत् निर्णय पारित किये गये है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नहीं होने से पारित निर्णयों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किया जावे। योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थी ने अपने कथनों के समर्थन में 2007 आरआरडी पेज 587, एवं 1984 आरआरडी पेज 391 पर उद्धरित न्यायिक दृष्टान्त एवं कोलोनाईजेशन विभाग द्वारा जारी पर्चा खतौनी, खतौनी सम्वत् 2041 एवं खातेदारी सनद दिनांक 27-06-1077 की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत की।

5. हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय का अवलोकन किया।

6. पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों एवं उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादीगण ने विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88-92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत कर वादपत्र की मद संख्या-2 में वर्णित विवादित आराजी बाबत् वादीगण के दादा श्री पाल द्वारा निष्पादित वसीयत दिनांक 10-01-1991 के आधार पर खातेदार घोषित किये जाने का अनुतोष चाहा। वादीगण प्रत्यर्थीगण ने मूल वाद के साथ विवादित आराजी की जमाबन्दी प्रस्तुत की गयी, उसमें पालसिंह वल्द प्रेमसिंह गैर खातेदार दर्ज है जबकि लिखित बहस के साथ वादीगण प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता की ओर से जो दस्तावेजात के साथ जमाबन्दी सम्वत् 2041 प्रस्तुत की गयी है, उसमें पालसिंह पुत्र प्रेमसिंह को खातेदार दर्शाया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में मुख्य विचारणीय बिन्दू यह है कि क्या वादीगण के दादा श्री पालसिंह वसीयत निष्पादन की दिनांक को विवादित आराजी के गैर खातेदार दर्ज थे अथवा खातेदार दर्ज? प्रस्तुत प्रकरण में दोनों ही अधीनस्थ

न्यायालयों द्वारा इस बिन्दू पर किसी प्रकार की कोई विवेचना एवं विश्लेषण किये बिना अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किये गये है, जो विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर को निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

7. परिणामतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22-05-2002 एवं उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30-05-2000 निरस्त किये जाते है तथा प्रकरण विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि विवादित आराजी वसीयत निष्पादन की तिथि को वसीयतकर्ता की खातेदारी में दर्ज थी अथवा गैर खातेदारी में दर्ज थी, इस बिन्दू का परीक्षण करते हुए उभयपक्ष को सुनकर पुनः विधिसम्मत् निर्णय व डिक्री छः माह में आवश्यक रूप से पारित करें।

8. पक्षकारान को जरिये अधिवक्तागण पाबन्द किया जाता है कि वे उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर के न्यायालय में दिनांक .... को उपस्थित होकर प्रकरण के शीघ्र निस्तारण में न्यायालय को सहयोग प्रदान करें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील कुमार शर्मा)
सदस्य

(डॉ. आर. वेंकटेश्वरन)
अध्यक्ष